कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा),उत्तराखण्ड,देहरादून

वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून-248006

सं0 : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-25/2017-18/

दिनांक : /10/2017

सेवा में,

नगर आयुक्त,

नगर निगम – हरिद्वार

जनपद- हरिद्वार

वषय : नगर निगम - हरिद्वार, का वर्ष 2014-15 से 2016-17 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रे षत कर यह अवगत कराना है क प्रतिवेदन के भाग II (अ) में 02 प्रस्तर तथा भाग-II (ब) में 7 प्रस्तर एवं STAN शुन्य प्रस्तर हैं। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वा षक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मि लत कया जाना सम्भा वत है। भाग-2 (अ) के सभी प्रस्तरों के प्रतिपालन आख्या स चव, शहरी वकास, उत्तराखण्ड शासन एवं भाग-2 (ब) के सभी प्रस्तरों के प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अ धकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है क उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रे षत करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अ धकारी/स्थानीय निकाय

सं0: स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-25/2017-18/ दिनांक : /10/2017

प्रति ल प निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रे षत :

1- स चव, शहरी वकास उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

2- निदेशक, शहरी वकास निदेशालय उत्तराखण्ड, 31/62 राजपुर रोड़ निकट साई इंस्टीट्यूट, देहरादून।

3- निदेशालय, लेखापरीक्षा (आ डट), द् वतीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पन कोडः 248005

वरि. लेखापरीक्षा अ धकारी/स्थानीय निकाय

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून

निरीक्षण आख्या नगर निगम हरिद्वार द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के आधार पर तैयार करायी गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गयी कसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड देहरादून की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

कार्यालय नगर निगम हरिद्वार, जनपद- हरिद्वार के वत्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस.के. वर्मा, एवं श्री नित्यानंनद संह स.ले.प.अ. एवं श्री लक्ष्मण सहं वष्ट व.ले.प. द्वारा दिनांक 03.06.2017 से 05.07.2017 श्री वी.पी. सहं ले.प.अ. के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया ।

<u>भाग-एक</u>

(1) परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री एस.के.वर्मा स.ले.प.अ., श्री के.बी.गुरुंग पर्यवेक्षक, श्री संजय ओझा ले.प., द्वारा दिनांक 26.05.2014 से 24..06.2014 तक श्री सी.एस.त्रिपाठी व.ले.प.अ., के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई थी। जिसमें महा 04/2013 से 03/2014 तक के लेखा अ भलेखों की जाँच की गई थी।

2. <u>इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्र</u>

(अ) सम्प्रेक्षा अव ध में कार्यरत नगर आयुक्त एवं मेयर का नाम तथा पदनाम

श्री अशोक कुमार पाण्डेय - नगर आयुक्त (16.12.2016 से अब तक)

श्री नरेन्द्र संह कीरियाल - नगर आयुक्त (06.10.2016 से 14.12.2016 तक)

सुश्री वप्रा त्रिवेदी - नगर आयुक्त (17.09.2013 से 01.10.2016 तक)

श्री मनोज गर्ग - मेयर

(ब) सम्प्रेक्षा सदस्यो के नाम तथा पदनाम (i) श्री वी.पी. संह, ले.प.अ.

(ii) श्री एस.के.वर्मा, स.ले.प.अ.

(iii) श्री नित्यानन्द संह, स.ले.प.अ.

(iv) श्री लक्ष्मण संह, व.ले.प.

(स) सम्प्रेक्षा तिथीः 03.06.2017 से 05.07.2017 तक

(द) सम्प्रेक्षा में आच्छादित अव धः वत्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक

(क). भौगो लक क्षेत्र : 12.1759 वर्ग कलोमीटर

(ख). जनसंख्या: 2,31,338

(ग). निर्वा चत सदस्यों की संख्याः 30

(घ). निगम द्वारा आयोजित बैठकों की संख्याः 15

(च). उपस मतियों,स्थायी स मतियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या:- 02

(छ). कर्मचारियों की संख्या: -598

(ज). पंचायतराज की सम्प त्त .:- -

(झ). पंचायतराज के अपने प्रोजेक्ट: -कोई नही

(ट) योजनाओं की संख्या :- 04

(ठ) सामाजिक संरक्षा

बरोजगार सृजन से सम्बन्धित

वर्ष के दौरान पूर्ण की गयी योजनायें: -

लाभा र्थयों की संख्या :

(ड़) वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया रा श: ववरण सलंग्न

(ढ) वर्ष के दौरान कुल व्यय :-

(अ) सामान्यः -

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलगअलग- दर्शाया जाय एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये।

(त) क्या वा र्षक योजनाओं एवं बजट पर निर्वा चत निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित कया गयाः हाँ

भाग II-ब '

प्रस्तर 1 : इकाई द्वारा दिये गए विभिन्न ठेकों पर कम स्टाम्प शुल्क की वसूली के कारण शासन को ` 2,98,560/- के राजस्व की हानि |

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अध्याय दो की धारा (16) एवम् इसी अधिनियम की अनुसूची 1 (बी) के अनुच्छेद 35 के अनुसार किसी लीज/अनुबंध या करार तथा किसी अचल सम्पत्ति को स्थानान्तरित आदि करने पर नियमानुसार शासन द्वारा स्टाम्प शुल्क की वसूली की जाती है ताकि शासकीय आय में वृद्दि हो सके। नगर निगमों/नगर पालिकाओं द्वारा दिये जाने वाले ठेकों पर स्टाम्प शुल्क की देयता के संबंध में अपर महानिरीक्षक निबन्धक उत्तराखंड, देहरादून द्वारा निदेशक शहरी विकास को संबोधित अपने पत्र संख्या 375/म.नि.नि./2012-13 दिनांकित 13.07.2012 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि ठेकों पर ठेकों की सम्पूर्ण राशि के 2% की दर से स्टाम्प शुल्क की वसूली की जानी चाहिए | इसी सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 17.2.2011 में यह स्पष्ट किया गया है कि लीज अनुबन्ध स्टाम्प की धारा (2)(16) के अन्तर्गत आती है जिस पर अनुच्छेद 35 के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क देय है।

उत्तराखण्ड शासन के स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के द्वारा पट्टे के पंजीकरण के संबंध में जारी की गई स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क की दरें निम्न हैं:-

Name of Service	Duration of Lease	Stamp Duty	Registration Fee
Registration of Lease (पट्टा का पंजीकरण)	1 year or less	2%	2% on total rental value but maximum of Rs. 25000/-.
	Exceeding 1 Year but not exceeding 5 Years	(Annual Average Rent x 3) x 2%	

इकाई के लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच (जून-जुलाई 2017) में पाया गया कि इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान दिये गये विभिन्न प्रकार के ठेकों पर संलग्नक 'क' के अनुसार `2,98,560/- के स्टाम्प शुल्क की कम वसूली की गई | आगे जाँच में यह भी पाया गया कि इकाई द्वारा अचल संपत्ति से संबन्धित विभिन्न प्रकार के ठेकों का पंजीकरण नहीं कराया जा रहा है |

इसे इंगित किए जाने पर, तथ्यों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि स्टाम्प शुल्क की वसूली हेतु संबन्धित ठेकेदारों से पत्राचार किया जा रहा है | स्टाम्प शुल्क की वसूली हो जाने के बाद लेखापरीक्षा को सूचित कर दिया जाएगा | ठेकों के पंजीकरण के सम्बंध में इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि भविष्य में अनुपालन किया जाएगा |

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा विभिन्न ठेकों का कार्यादेश जारी करने से पहले ठेकेदारों के साथ अनुबन्ध का पंजीकरण कराया जाना चाहिए था तथा समस्त देय स्टाम्प शुल्क वसूलने के बाद ही कार्यादेश जारी किया जाना चाहिए था |

इकाई द्वारा अनुबन्ध के समय स्टाम्प शुल्क की वसूली न किए जाने के कारण शासन को `2,98,560/- के राजस्व की हानि हुई | प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है |

<u>भाग 2 (ब)</u>

प्रस्तर **2:-** निगम की श थलता के कारण आवासीय भवनों पर राजस्व की हानि,अप्रा धकृत कब्जा व कराए की धनरा श `13,63,097/- की वसूली का लंबित रहना।

नगर निगम हरिद्वार की आवासीय भवनों से संबन्धित अ भलेखों की जांच में पाया गया क नगर निगम के पास उपलब्ध आवासीय भवनों के आबंटन से संबन्धित अ भलेखों का रख-रखाव निय मत रूप से नहीं कया जा रहा था। इकाई के ज़्यादातर आवासों पर अध्या सयों के अवैध कब्जे थे। इकाई द्वारा नगर निगम व अन्य वभागों के कर्मचारियों को आबंटित कए गए आवासीय भवनों को कर्मचारियों के सेवानिवृत/समय पर खाली न करवाए जाने के कारण 31/03/2017 तक निगम के 61 आवासों पर निगम व अन्य वभागों के सेवा निवृत्त कर्मचारियों तथा बाहरी व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कया गया था (संलग्नक 'अ')। आगे जांच में यह भी पाया गया क इकाई द्वारा नगर निगम व अन्य वभागों के सेवारत कर्मचारियों को आबंटित आवासों में से कुछ आवासों पर इन कर्मचारियों द्वारा अपने ढंग से आवास का निर्माण कर अवैध कब्जा कया गया था। इनमे से कुछ कर्मचारियों के वेतन से नियमानुसार देय आवास भत्ता की कटौती न कर बहुत कम धनरा श की वसूली की जा रही थी (संलग्नक 'ब')। इकाई के आवासीय भवनों के कराए की मांग पंजिका की जांच में पाया गया क इकाई द्वारा आवासीय भवनों के कराए की मांग बहुत कम रखी गयी थी एवं उसके उपरांत भी 31/03/17 तक इकाई के आवासीय भवनों के कराये की धनरा श `13,63,097/- की वसूली लंबित थी (संलग्नक 'स')।

उपरोक्त के संबंध में लेखापरीक्षा (जून 2017) में इं गत कए जाने पर इकाई ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये निम्न ल खत बिन्दुवार आख्या प्रस्तुत की: -

1. इकाई द्वारा अन्य वभागों/बाहरी व्यक्तियों/सेवानिवृत कर्मचारियों को आवासीय परिसरों के आवंटन कए एवं इन आवासीय परिसरों को खाली करवाए जाने हेतु कृत कार्यवाही के संबंध में बताया क उक्त आवास काफी समय से आबंटित कए गये हैं एवं खाली करवाए जाने हेतु नोटिस दिये गए हैं।

2. इकाई द्वारा अन्य वभागों/बाहरी व्यक्तियों/सेवानिवृत कर्मचारियों को आवंटित आवासीय परिसरों के लए `40/- से `600/- तक मा सक कराए की मांग व वसूली कए जाने के संबंध में इकाई द्वारा बताया गया क समय-समय पर नगर पा लका अध्यक्ष द्वारा दिये गए निर्देशों के अनुसार मांग निर्धारित की गयी है।

3. नगर निगम के सेवारत कर्मचारियों को आबंटित आवासों के सापेक्ष वेतन से आवास भत्ता की कटौती न कर बहुत कम धनरा श की वसूली की जा रही थी। कर्मचारियों को आवास कराया भत्ते के रूप में `1200/- से `1400/- प्रतिमाह का भुगतान कया जा रहा था जब क इसके सापेक्ष केवल `200/- से

`300/- प्रतिमाह की वसूली की जा रही थी। इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई ने उत्तर में बताया क प्रकरण की जांच कर समु चत कार्यवाही की जाएगी।

4. अन्य वभागों के कर्मचारियों/स्थानांतरित कर्मचारियों के वेतन वलों से आवास कराए भत्ते की कटौती कर इकाई को प्रे षत कए जाने के संबंध में इकाई ने बताया क अन्य वभागों द्वारा आवास कराए भत्ते की कटौती का कोई ववरण नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में पत्राचार कर संबन्धित वभागों से सूचना प्राप्त की जाएगी।

5. इकाई द्वारा आवासीय भवनों के कराए की मांग के सापेक्ष 31/03/17 तक इकाई के आवासीय भवनों के कराये की धनरा श `13,63,097/- की वसूली न कए जाने के संबंध में पूछे जाने पर इकाई ने बताया क वसूली के संबंध में समय-समय पर नोटिस दिये जाते हैं।

6. अन्य वभाग के का र्मकों को निगम परिसंप त्त आवंटित करने के आधार/ नियम/ शासनादेशों के संबंध में पूछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया क नगर पा लका के सक्षम अ धकारियों के आदेशानुसार आबंटन कए गए है।

7. का र्मकों के सेवानिवृति पर आवास खाली कराये बिना सेवानिवृति संबंधी लाभों का निस्तारण कए जाने के संबंध में इकाई द्वारा बताया गया क कर्मचारियों द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर सेवानिवृ त्त संबंधी लाभों का निस्तारण कया जाता है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क उपरोक्त आख्या 01 से 06 के संबंध में इकाई द्वारा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कया गया थाइस प्रकार निगम की श थलता के कारण आवासीय भवनों पर राजस्व की हानि, अप्रा धकृत कब्जा व कराए की धनरा श `13,63,097/- की वसूली लंबित पड़ी रही है।

अतः प्रकरण उच्च अ धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (अ)

प्रस्तर 1 : व भन्न योजनाओं के अंतर्गत आबंटित धनरा श ` **1.74** करोड़ (ब्याज सहित `3.30 करोड़) का अवरोधन।

नियमानुसार शासन द्वारा कसी भी योजना के लए उपलब्ध/अवमुक्त धनरा श को उस कार्य पर व्यय कर उपभोग प्रमाण पत्र शासन को प्रे षत कर दिया जाना चाहिए। नगर निगम हरिद्वार के 31 मार्च 2016 के तुलन पत्र में अं कत एफ़॰ डी॰ आर॰ की जांच में पाया गया क इकाई के पास व भन्न मदों की अवशेष धनरा शयों को एफ़॰ डी॰ आर॰ के रूप में सं चत कया गया था। इस संबंध में इकाई द्वारा उपलब्ध करायी गयी पत्राव लयों की जांच में पाया गया क:

1. नगर निगम हरिद्वार की अवस्थापना नि ध अंतर्गत प्राप्त अनुदान संबन्धित पत्रावली की जांच में पाया गया क उक्त मद में मार्च 2005 तक अवशेष धनरा श `75,53,961.00 का प्रस्ता वत प्रोजेक्ट शासन से प्राप्त न होने की दशा में `75.50 लाख धनरा श का पंजाब नैशनल बैंक, हरिद्वार में एफ़॰ डी॰ आर॰ बनाया गया था,जिसका समय-समय पर नवीनीकरण कर 31 मार्च 2017 तक `1,58,84,465.00 (`80 लाख + `7884465/- मई 2015 नवीनीकरण के समय) हो गयी थी।

2. म लन बस्ती योजना की अवशेष धनरा श से संबन्धित पत्रावली की जांच में पाया गया क मई 2006 तक इकाई के पास उक्त योजना की `3826704/-की धनरा श अवशेष थी जिसमे से24 मई 2006 को ` 38 लाखका पंजाब नैशनल बैंक, हरिद्वार में एफ़॰ डी॰ आर॰ बहाया गया था जिसका समय-समय पर नवीनीकरण कर 31 मार्च 2017 तक `6783878.00 (30/10/14 को नवीनीकरण के समय) हो गया था ।

3. वर्ष 2006 में हरिद्वार पोर्टल मद में `60.00 लाख की धनरा श उत्तराखंड शासन से प्राप्त हुयी थी, जिसको इकाई द्वारा इलाहाबाद बैंक में चार (`15 लाख प्रत्येक) एफ़॰ डी॰ आर॰ के रूप में रखा गया था। इन एफ़॰ डी॰ आर॰ का समय-समय पर नवीनीकरण कया जा रहा था एवं 31 मार्च 2017 तक इनका मूल्य ` 1,03,38,208.00(` 25,84,552/- प्रत्येक)हो गया था।

उपरोक्त से स्पष्ट था क शासन द्वारा स्वीकृत एवं धन रा श के निर्गत कए जाने के उपरांत प्रभावी कार्य योजना के अभाव मे रा श का उपयोग नहीं कया जा सका था तथा योजना का लाभ संबन्धित जन सामान्य को नहीं मल सका था।

इस संबंध में लेखापरीक्षा में इं गत कए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया क उक्त योजनाओं से संबन्धित शासनादेश इकाई के पास उपलब्ध नहीं है। संबन्धित पत्राव लयों की जांचोपरांत, कार्य योजना बनाकर एवं शासन से अनुमति के उपरांत उक्त धनरा शयों का उपभोग कर लया जाएगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क उपरोक्त प्रकरणों में धनरा श काफी लंबे समय से इकाई के पास अवरुद्ध पड़ी है जिसको इकाई द्वारा प्रायोजित योजना पर व्यय न कर एफ़॰ डी॰ आर॰ के रूप में सं चत रखे जाने से योजना का लाभ संबन्धित जन सामान्य को समय पर नहीं मल सका था।

अतः व भन्न योजनाओं के अंतर्गत शासन से आबंटित धनरा श ` **1.74** करोड़ (ब्याज सहित ` 3.30 करोड़) के अवरुद्ध रहने का प्रकरण उच्च अ धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग II-'ब '

प्रस्तर 3 : दुकान किराये की वसूली ` 256.80 लाख का लम्बित रहना |

दुकान किराया एवं गृहकर किसी भी नगर निगम की आय के प्रमुख स्रोत होते हैं | 14वें वित्त आयोग द्वारा भी नगरपालिकाओं द्वारा दक्षता अनुदान प्राप्त करने हेतु स्वयं की आय से संबन्धित अर्हतायें निर्धारित की गई हैं | 14वें वित्त आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों (No. 13(32)FFC/FCD/2015-16 dated 08th October, 2015-**दिशा-निर्देश संख्या 13**) के अनुसार नगरपालिकाओं को दक्षता अनुदान प्राप्त करने हेतु पिछले वर्षों के दौरान लेखापरीक्षित लेखों के आधार पर अपनी आय में वृद्धि दर्शानी होगी |

इकाई के लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान नगर निगम हरिद्वार द्वारा किराये पर दी गई दुकानों से निम्नानुसार दुकान किराये की वसूली की गई:-

क्रं.सं.	वित्तीय वर्ष	पूर्व अवशेष	चालू माँग	कुल माँग	वसूली	गतशेष
01.	2014-15	13519452	9195485	22714937	4259406 **(19%)**	18493579
02.	2015-16	18493579	9207816	27701395	3521874 **(13%)**	24122057
03.	2016-17	24122057	9197816	33319873	7614743 **(23%)**	25680006

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि इकाई द्वारा दुकान किराये के रूप में केवल 13 से 23 प्रतिशत की वसूली की जा रही है जोकि निगम हित में नहीं है | इसके साथ ही वर्ष दर वर्ष अवशेष वसूली लेनदारी के रूप में बढ़ती जा रही है |

इसे इंगित किए जाने पर, तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि शासन के आदेशों के अनुक्रम में प्रशासक द्वारा बाजार दर पर दुकान किराया निर्धारित किया गया था जिसे बोर्ड द्वारा पुनरीक्षित कर पूर्व दुकान किराये को दोगुना करने के रूप में प्रस्ताव पारित किया गया | इस सम्बंध में शासन से स्पष्ट दिशा निर्देश हेतु मार्गदर्शन चाहा गया है | इसी कारण कम किराया वसूला गया है |

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा माँग के अनुरूप दुकान किराये की वसूली न किए जाने के कारण निगम की आय में निरन्तर कमी आ रही है जोकि निगम हित में नहीं है | निगम की आय में कमी के कारण इकाई को आतिथि तक 14वें वित्त आयोग से दक्षता अनुदान भी प्राप्त नहीं हुआ है |

अतः दुकान किराये की वसूली ` 256.80 लाख के लम्बित रहने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है |

भाग 2 (ब)

प्रस्तर 4:- नगर निगम हरिद्वार पर सेवानिवृत व सेवारत कर्मचारियों के सेवा निवृ त्त लाभ/ वेतन की धनरा श 21.74 करोड़ की देयता।

पेंशन नियमावली के अनुसार सेवा निवृत्त होने वाले अ धकारियों/कर्मचारियों को सेवा निवृ त्त के साथ ही उनके सेवा निवृ त्त लाभ से संबन्धित देयकों का अ वलंब भुगतान कर दिया जाना चाहिए ता क सेवा निवृ त्त के उपरांत कर्मचारियों को वत्तीय परेशानियों का सामना न करना पड़े एवं देनदारी लंबित न रहे।

नगर निगम हरिद्वार के सेवा निवृत्त अ धकारियों/ कर्मचारियों के देयकों से संबन्धित पत्राव लयों की जाँच में पाया गया क निगम के सेवा निवृत कर्मचारियों को पेंशन, सेवानिवृ त्त उपदान, कर्मचारी भ वष्य नि ध, उपार्जित अवकाश का नगदीकरण व छठे वेतनमान के लागू होने के उपरांत वेतन का एरिअर, आदि देयकों का भुगतान नहीं कया गया था। आगे जाँच में पाया गया क कुछ कर्मचारी तो 1992 में सेवानिवृत्त हो गए थे एवं इनमें से 66 कर्मचारियों की मृत्यु भी हो चुकी है। उपरोक्त के अतिरिक्त नगर निगम के कार्यरत कर्मचारियों के मा सक वेतन व एरिअर का भुगतान भी समय पर नहीं हो पा रहा है। आगे जाँच में पाया गया की लेखापरीक्षा ति थ (जून 2017) तक इकाई पर सेवानिवृत कर्मचारियों के पेंशन, सेवानिवृत उपदान, कर्मचारी भ वष्य नि ध, अवकाश नगदीकरण आदि देयकों की धनरा श ` **146713069/-** एवं कार्यरत कर्मचारियों को वेतन/एसीपी की देयता ` **70732714/-**की देनदारी लंबितहै। जिसका ववरण निम्नवत है: -

क्रमांक	देयता का प्रकार	लंबित देयता की धनरा श	टिप्पणी
सेवानिवृत्त कर्मचारी की देयता			
1	पेंशन	88506061	
2	सेवानिवृ त्त उपदान	46362623	
3	कर्मचारी भ वष्य नि ध	541783	
4	अवकाश नगदीकरण	3190895	
5	वेतन/एसीपी एरिअर	8111707	
	योग =	**146713069**	
कार्यरत कर्मचारी की देयता			
1	वेतन/एसीपी एरिअर	69216873	
2	कर्मचारी भ वष्य नि ध	1515841	
	योग	**70732714**	

उपरोक्त के संबंध में लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर इकाई ने तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि करते हुये अपने उत्तर में बताया क धनरा श उपलब्ध न होने के कारण भुगतान नहीं कया जा सका है तथा

देयताओं के भुगतान हेतु शासन से अनुरोध कया गया है, धनरा श प्राप्त होने पर कर्मचारियों को भुगतान कया जाएगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क कर्मचारियों/ सेवानिवृत कर्मचारियों का भुगतान काफी लंबे समय से लंबित है, जो समय के साथ-साथ बढ़ता जा रहा है। इकाई द्वारा समय-समय पर उपलब्ध धनरा श के आवंटन एवं निजी स्रोतों से आय में वृद् ध कर उपरोक्त दायित्वों का निस्तारण कया जाना अपे क्षत था जिसे इकाई की प्रशासनिक श थलता के कारण पूर्ण नहीं कया जा सका।

प्रकरण उच्च अ धकारियों के सज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर 5:-नगर निगम की भूसंप त्तयों की लीज समाप्त होने के उपरांत अध्या सयों का अवैध कब्जा एवं क्षतिपूर्ति की धनरा श ` 4.18 करोड़ की वसूली लंबित रहना।

कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम हरिद्वार की भू म लीज से संबन्धित पत्रावली की जांच में पाया गया क इकाई के भू म/प्लाटों पर लीज समाप्त होने के उपरांत भी अध्या सयों द्वारा अवैध कब्जा कया गया था। कुछ भू म/प्लाटों की लीज 1990 व मार्च 2013 में समाप्त हो गयी थी जिसे बढ़ाए जाने/कब्जा हटाये जाने की कार्यवाही समय पर नहीं की गयी थी। इन भू-सम्प त्तयों का ववरण निम्नवत है: -

क्रं	संप त्त का ववरण	वर्तमान कब्जेदार का नाम	भू म का क्षेत्रफल (वर्गफुट में)	लीज समाप्ति की ति थ	टिप्पणी
1	प्लॉट सं 8 & 9 घोडामंडी, देवपुरा हरिद्वार	श्री गुरमीत संह सोढ़ी व श्री गुरप्रीत संह सोढ़ी	40000 + 400	31/03/2013	01/04/1923 में बाबा करतार संह बेदी, मंटगुमरी, पंजाब को पट्टे पर दी गई थी।
2	प्लॉट सं 10 घोडामंडी, देवपुरा हरिद्वार	श्री मदन मोहन हर मलाप ट्रस्ट	20252.6	31/03/2013	01/04/1923 में श्री सुखवीर संह, मुजफ्फरनगर को पट्टे पर दी गई थी।
3	प्लॉट सं 10 घोडामंडी, देवपुरा हरिद्वार	श्री मदन मोहन हर मलाप ट्रस्ट	20252.6	31/03/2013	01/04/1923 में राय साहब लाला जिंदा वकील को पट्टे पर दी गई थी।
4	गोपाल धाम प्लॉट सं 12 घोडामंडी, देवपुरा हरिद्वार	1. श्रीमति सुशीला देवी 2. श्रीमति पूरन देवी 3. तिलक कुमारी	20200	31/03/2013	01/04/1923 में बाबा हरिचन्द पुत्र श्री लाला गोपाल चंद, जालंधर, पंजाब को पट्टे पर दी गई थी।
5	प्लॉट सं 15 घोडामंडी, देवपुरा हरिद्वार	श्री जयप्रकाश दुबे, श्री धनंजय दुबे, श्रीमति उत्तमी देवी, श्री दयानन्द तनेजा	20402	31/03/2013	01/04/1923 में सरदार हुकुम संह संघई, झेलम, पंजाब को पट्टे पर दी गई थी।
6	प्लॉट सं 16 घोडामंडी, देवपुरा हरिद्वार	श्री दयाराम बु धया, श्री वासुदेव बु धया, श्री सांवर लाल बु धया श्री मुरारी लाल बु धया, श्री दीपक बु धया	20402	31/03/2013	01/04/1923 में लाला फकीर चंद प्रो. मैसर्स फकीर चंद गुरुनारायन टिंबर मर्चेन्ट चकवाल,झेलम पंजाब को पट्टे पर दी गई थी।
7	म्युनि सपल भू म, रेलवे माल गोदाम के सामने	भारत पेट्रो लयम कार्पोरेशन ल मटेड नई दिल्ली	14367.07	31.07.1990	01/08/1960 में मैसर्स वर्मा सैल कम्पनी देहली

					को पट्टे पर दी गई थी।

आगे जांच में पाया गया क इकाई द्वारा बोर्ड बैठक (10/2014) में उक्त भू-सम्प त्तयों को खाली कराये जाने एवं मुआवजा इस्तेमाल स र्कल रेट की दर से वसूल कए जाने का निर्णय लया गया था। लीज समाप्त होने से 28/02/2015 तक उक्त भू-सम्प त्तयों पर स र्कल रेट से कुल क्षतिपूर्ति की धनरा श ` 4.18 करोड़[1] वसूल कए जाने हेतु अध्या सयों को नोटिस भी जारी कए गए था (मार्च 2015),परंतु वसूली आति थ तक लंबित थी।

उपरोक्त के संबंध में लेखापरीक्षा (जून 2017) में पूछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया क उक्त अध्या सयों के वरुद्ध क्षतिपूर्ति व बेदखली वाद न्यायालय में वचाराधीन है एवं क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस जारी कए गए है।

इकाई का उत्तर तथ्यपरक नहीं है क्यों क इकाई द्वारा स्थायी परिसंप त्तयों के प्रभावी रखरखाव हेतु उ चत कदम नहीं उठाए गए थे, अपे क्षत था क लीज की समाप्ति पर शासन से दिशानिर्देश प्राप्त कर/ बोर्ड के निर्णय से लीज का नवीनीकरण अथवा संप त्त के बेदखली की कार्यवाही की जानी चाहिए थी जिसे करने में इकाई असफल रही एवं ` 4.18 करोड़ की अशोध्य लेनदारी का सृजन हुआ।

उक्त भू-सम्प त्तयों की लीज नवीनीकरण का प्रकरण पूर्व लेखापरीक्षा में भी इकाई के संज्ञान में लाये जाने के बावजूद इकाई द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। अतः प्रकरण उच्च अ धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

[1] प्लॉट सं 8 & 9,`5608582.20 +प्लॉट सं 10,`2790567.00+प्लॉट सं 12,`2769980.45 + प्लॉट सं 15,`2820496.50 + प्लॉट सं 16,`2828375.55 + म्युनि सपल भू म, रेलवे माल गोदाम के सामने`25018397.85 = कुल धनरा श `41836399.55

भाग 2 (ब)

प्रस्तर 6:- नई अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कर्मचारियों के पेंशन अंशदान की कटौतियों का समय पर संबन्धित खातों में जमा न कया जाना।

शासनादेश 21/xxvvi(7)अ.पे.यो/2005 दिनांक 25/10/2005 के अनुसार राज्य नियंत्रणाधीन समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओ/राज्य सहायता प्राप्त शक्षण संस्थाओं में समस्त नईभर्तियों पर 01 अक्टूबर 2005 से नयी परिभा षत अंशदायी पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी जिसके अंतर्गत वेतन, मेंहगाई वेतन एवं मेंहगाई भत्ते के 10प्रतिशत केसमतुल्य धनरा श का अंशदान कया जाएगा एवं इसी के समतुल्य सेवायोजक का अंशदान राज्यसरकार अथवा संबन्धित स्वायत्तशासी संस्था/निजी शक्षण संस्थाद्वारा कया जाएगा। उत्तराखंड शासन के पत्रांक 346/xxvii(7)/2007 दिनांक 21 नवम्बर 2007 द्वारा यह भी स्पष्ट कया गया था क जिन स्वायत्तशासी संस्थाओं/ स्थानीय निकायों में अंशदान पेंशन योजना लागू है तथा राजकोष से एकीकृत लेखा एवं भुगतान प्रणाली से वेतन आहरित नहीं होता, ऐसी संस्थाओं में जब तक भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य के पेंशन फंड के वषय में पेंशन फंड मैनेजर नियुक्त नहीं होता, तब तक कसी राष्ट्रीयकृत बैंक या ऐसी संस्था में जहां न्यूनतम सामान्य भ वष्य नि ध पर देय ब्याज से कम ब्याज अनुमन्य न हो, सुर क्षत निवेश कया जाय ता क जैसे ही फंड मैनेजर नियुक्त हो ब्याज सहित ऐसी धनरा श प्रत्येक कर्मचारी के ववरण सहित फंड मैनेजर को हस्तांतरित कर दी जाय।

कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम हरिद्वार के अ धकारियों/कर्मचारियों के नई अंशदान पेंशन योजना के अ भलेखों की जांच में पाया गया क नगर निगम हरिद्वार के 219 कर्मचारी नई अंशदान पेंशन योजना (मार्च 2017 तक) से आच्छादित थे। इन सभी कर्मचारियों के पेंशन अंशदान को यूनियन बैंक ऑफ इं डया एवं ओ॰बी॰सी॰ बैंक में संबन्धित कर्मचारियों के अंशदायी पेंशन योजना हेतु खोले गए सामान्य बचत खातों में जमा कया जा रहा था जिन पर सामान्य बचत दर से ब्याज प्राप्त कया जा रहा था। आगे जांच में पाया गया क नई अंशदान पेंशन योजना से आच्छादित 127 नव नियुक्त सफाई कर्मचारियों में से 119 कर्मचारियों के माह मई 2015 से सतंबर 2016 (17 माह) तक एवं निकाय के 92 अन्य कर्मचारियों का जुलाई 2016 से अप्रैल 2017 (10 माह) तक के वेतन से पेंशन अंशदान की कटौतियों व नियोक्ता द्वारा दिये गए अंशदान की कुल धनरा श `10098144.00को उक्त कर्मचारियों के अंशदायी योजना से

संबन्धित बैंक खातों में जून 2017 में प्रे षत कया गया था। सफाई कर्मचारियों के सतंबर 2016 के बाद की अव ध के अंशदान की धनरा श का संबन्धित कर्मचारियों के बैंक खातों में प्रेषण नहीं कया गया था। जिससे कर्मचारियों को उक्त धनरा श पर मलने वाले ब्याज की धनरा श की हानि हुयी है। 127 सफाई कर्मचारियों में से शेष निम्न 08 कर्मचारियों के आति थ तकपेंशन अंशदान के बैंक खाते भी नहीं खोले गए थे।

क्रम	कर्मचारी का नाम	पद
1.	श्री मंदर पुत्र श्री वनारसी	पर्यावरण मत्र/सफाई कर्मचारी
2.	श्री कुलदीप पुत्र श्री हुकुम	पर्यावरण मत्र/सफाई कर्मचारी
3.	श्री सतीश पुत्र श्री सडु	पर्यावरण मत्र/सफाई कर्मचारी
4.	श्री कैलाश चंद्र पुत्र श्री पन्नालाल	पर्यावरण मत्र/सफाई कर्मचारी
5.	श्री अनिल पुत्र श्री अतर संह	पर्यावरण मत्र/सफाई कर्मचारी
6.	श्री संदीप पुत्र श्री संतराम	पर्यावरण मत्र/सफाई कर्मचारी
7.	श्री रोहित पुत्र श्री कश्मीरा	पर्यावरण मत्र/सफाई कर्मचारी
8.	श्री राजेश पुत्र श्री श्यामलाल	पर्यावरण मत्र/सफाई कर्मचारी

आगे जांच में यह भी पाया गया क कर्मचारियों केनई पेंशन अंशदान योजना से संबन्धित व्यक्तिगत बैंक पास बुकों व नव-नियुक्त सफाईकर्मचारियों के न तो पेंशन अंशदान लेजर का अधतन कया गया था और न ही इकाई द्वारा कर्मचारियों के अंशदान की कटौतियों का कर्मचारियों के बैंक खातों में जमा की जा रही धनरा श से मलान नहीं कया जा रहा था। इसके अतिरिक्त महंगाई भत्ते/वेतन के एरियर के भुगतान से पेंशन अंशदान की कटौतियाँ भी नहीं की जा रही थी।

उपरोक्त के संबंध में पूछे जाने पर इकाई ने तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि करते हुये निम्न ल खत बिन्दुवार आख्या प्रस्तुत की: -

1. इकाई के 119 सफाई कर्मचारियों के माह मई 2015 से सतंबर 2016 (17 माह) एवं 92 अन्य कर्मचारियों का जुलाई 2016 से अप्रैल 2017 (10 माह) के अंशदान की कटौतियों का लंबे समय तक (09 जून 2017 तक) उनके खातों में जमा नहीं कए जाने के संबंध में इकाई द्वारा बताया गया क कुछ कर्मचारियों के बैंक खाते न खोलने के कारण सभी कर्मचारियों के खातों में अंशदायी पेंशन का अंशदान प्रे षत नहीं कया गया था। भ वष्य में महंगाई भत्ते/वेतन के एरियर के भुगतान से पेंशन अंशदान की कटौतियाँ सुनिश्चित की जाएंगी।

2. सफाई कर्मचारियों के माह सतंबर 2016 से मई 2017 तक की अव ध के पेंशन अंशदान की धनरा श को कर्मचारियों के बैंक खातों में जमा न कए जाने के संबंध में इकाई ने बताया क सफाई कर्मचारियों को उक्त अव ध का भुगतान नहीं कया गया है, वेतन भुगतान के समय पेंशन अंशदान की कटौतियाँ की जाएंगी।

3. 08 नव नियुक्त सफाई कर्मचारियों (मई 2015 में नियुक्त) के आति थ तक अंशदायी पेंशन खातों के न खोले जाने के संबंध में इकाई द्वारा बताया गया क कर्मचारियों को बार-बार नोटिस दिये गए है, बैंक खाते खुलवाने की कार्यवाही की जा रही है।

4. कर्मचारियों के अंशदान की कटौतियों का कर्मचारियों के बैंक खातों में जमा की जा रही धनरा श से निय मत समय अंतराल में मलान न कए जाने के संबंध में इकाई ने बताया क भ वष्य में कटौतियों का मलान करवाया जाना सुनिश्चित कया जाएगा।

5. बैंक द्वारा नई अंशदान पेंशन योजना से आच्छादित कर्मचारियों के बैंक खातों पर वर्ष 2016-17 में ब्याज की गणना सामान्य बचत दर से प्रदान की गयी है। इकाई द्वारा कर्मचारियों के अंशदायी पेंशन योजना की कटौतियों को फंड मैनेजर को हस्तांतरित कए जाने के संबंध में इकाई द्वारा बताया गया क इस संबंध में निदेशालय से उ चत दिशा-निर्देश प्राप्त कर कार्यवाही की जाएगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क इकाई द्वारा नई अंशदायी पेंशन योजना के प्रभावी रखरखाव हेतु उ चत कदम नहीं उठाए गए थे जिससे संबन्धित कर्मचारियों को पेंशन अंशदायी खातों में ब्याज के रूप में मलने वाले अपे क्षत लाभ वं चत रहना पड़ा था।

अतः प्रकरण उच्च अ धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग 2 (ब)</u>

प्रस्तर 7:- नगर निगम हरिद्वार के 31 मार्च 2016 के तुलन- पत्र में अनिय मतताएँतथा तुलन पत्र को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत न कया जाना।

उत्तर प्रदेश नगर निगम अ धनियम, 1959 की धारा 118 में मुख्य नगर लेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों का उल्लेख करते हुये लखा गया है क मुख्य नगर लेखा परीक्षक निगम नि ध के लेखों की लेखापरीक्षा के संबंध में कार्यकारिणी स मति अथवा निगम के निर्देशानुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। केंद्रीय वत्त आयोगों के निर्देशों के अनुक्रम में निगम द्वारा वा र्षक लेखा ववरण बनाया जा रहा था।

इकाई की लेखापरीक्षा (जून-जुलाई 2017) में वत्तीय वर्ष 2015-16 के वा र्षक लेखा ववरण के जांच में निम्न तथ्य प्रकाश में आए: -

- तुलन पत्र दिनांक 31 मार्च 2016 के अंतर्गत Investment-General Fund में ` 6,29,77,054.84 की रा श दर्शायी गयी थी, संबन्धित अनुसूची B-12 में दिये गए ववरण के अनुसार उक्त जमारा श में वास्त वक मूल्य (Face Value)` 2,38,72,567.92 तथा अनुसूची B-07 के अनुसार जमा पर अर्जित ब्याज ` 3,91,04,486.92 था।

  जब क इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गए FDR संबन्धित पत्रावली के अवलोकन में देखा गया क इकाई के पास ` 3,48,80,770/- मूल्य के 09 FDR उपलब्ध थे। इस प्रकार वा र्षक लेखा ववरण (31 मार्च 2016) में दर्शाये गए FDR के वास्त वक मूल्य तथा उस पर अर्जित ब्याज की रा श त्रुटिपूर्ण दर्शायी गयी थी तथा FDR के वास्त वक मूल्य में ` 1,10,08,203/- का अंतर था।

- आय-व्यय लेखा ववरण 31 मार्च 2016 के व्यय पक्ष के अनुसार Provision &Write Off में `30,02,510.24दर्शाया गया था, ववरण अनुसूची I-16 के अनुसार Doubtful Receivable Depreciation मद में `15,01,255.12 तथा Assets Written Off मद में `15,01,255.12 दर्शाया गया था। WriteOff कए गए Asset के संबंध में ववरण दर्ज नहीं था।
- आय-व्यय ववरण 31 मार्च, 2016 के अनुसार आय-व्यय पक्ष में Change in Closing Stock मद में `50,96,355.78 का समायोजन कया गया था, जिसके संबंध में लेखा

ववरण में कोई ववरण/टिप्पणी दर्ज नहीं की गयी थी ता क इस समायोजन का कारण स्पष्ट हो सके ।

इस प्रकार वा र्षक लेखा ववरण मार्च, 2016 एवं निगम के पास उपलब्ध अ भलेखों में भन्नता थी जिसका मलान नहीं कया गया था। बनाए जा रहे तुलन पत्र को मुख्य नगर लेखा परीक्षक के जांच के उपरांत बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत नहीं कया जा रहा था, जिसके कारण त्रुटियाँ संज्ञान में नहीं आ सकी थी।

उपरोक्त के संबंध में लेखापरीक्षा में इं गत कए जाने पर इकाई ने बताया क जमा एफ डी आर पर अर्जित ब्याज बैलेन्स शीट की ति थ तक ही ली गयी है तथा ल पकीय त्रुटि के कारण उसके फ़ेस वैल्यू में भन्नता है जिसे ठीक कर लया जाएगा। written- off की रा श में भन्नता वर्ष 2014-15 के वत्तीय ववरण में दर्शाई गई रा श के कारण है जिसे ठीक कर लया गया है। अगले वत्तीय वर्ष से तुलन पत्र को मुख्य नगर लेखा परीक्षक के जांच के उपरांत बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कया जाएगा।

अतः इकाई के उत्तर से तुलन पत्र संबंधी आप त्तयो की पुष्टि होती है, तथ्य प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-**III**

(क)परिचयात्मक- कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम हरिद्वार, जनपद-हरिद्वार के लेखा/अ भलेखों की वत्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक की संप्रेक्षा श्री वी.पी. संह, ले.प.अ., श्री एक.के.वर्मा, स.ले.प.अ., श्री नित्यानन्द संह, स.ले.प.अ. तथा श्री लक्ष्मण संह, व.ले.प. द्वारा दिनांक 03 जून 2017 से 05 जुलाई 2017 तक संपादित की गयी।

(ख) वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरणः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-**II** अ प्रस्तर संख्या	भाग-**II** ब प्रस्तर संख्या
स्था.नि./प्रतिवेदन संख्या-66/2014-15/2441 दिनां कत 19.12.2014	4(ब)-I के प्रस्तर संख्या 01 से 06	4(ब)-II के प्रस्तर संख्या 01 से 08

(ग) वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन आख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिपण्णी	अभ्युक्ति
स्था.नि./प्रतिवेदन संख्या-66/2014-15/2441 दिनां कत 19.12.2014	भाग 4(ब)-II का प्रस्तर संख्या-05	वद्युत देयकों की बकाया धनरा श 28.79 करोड़ का शासन स्तर से समायोजन कया जा चुका है। साक्ष्य स्वरुप वर्तमान वद्युत देयकों की प्रति ल प लेखापरीक्षा दल के समक्ष प्रस्तुत की गई।	इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों के आधार पर उपरोक्त प्रस्तर को निस्तारित कये जाने की संस्तुती की जाती है।	इकाई द्वारा स्था.नि./प्रतिवेदन संख्या-66/2014-15/2441 दिनां कत 19.12.2014 के भाग 4(ब)-II के प्रस्तर संख्या 05 के अतिरिक्त अन्य प्रस्तरों की अनुपालन आख्या लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध नहीं कराई गई है ओर न ही इकाई द्वारा इसे अ ग्रम कार्यवाही हेतु निदेशालय को भेजा गया हैं।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हो) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन कया जाए)

सामान्य

---------- सामान्य ----------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार) लेखापरीक्षा (उत्तराखण्ड ,देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु नगर आयुक्त ,नगर निगम हरिद्वार तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः-

(i)

(ii) शून्य

2. सतत् अनिय मतताएः -

(i) व भन्न वार्डों में सम्प त्त कर लागू कए जाने हेतु आवा सय एवं व्यसायिक भवनों के सर्वेक्षण का कार्य नही कराया जा रहा हैं।

(ii) इकाई द्वारा आति थ तक वज्ञापनों हेतु लगाये गये हो र्डग्स के आवंटन संबं ध कार्यवाही, लेखापरीक्षा द्वारा पूर्व में इं गत मानको के अनुरुप नही कराया जा रहा हैं।

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गयाः-

क्रम सं.	नाम	पदनाम
01.	सुश्री वप्रा त्रिवेदी	नगर आयुक्त, नगर निगम हरिद्वार
02.	श्री नरेन्द्र संह कीरियाल	नगर आयुक्त, नगर निगम हरिद्वार
03.	श्री अशोक कुमार पाण्डेय	नगर आयुक्त, नगर निगम हरिद्वार

लघू एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएँ जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नही हो सका उन्हें नमूना लेखा परीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम हरिद्वार को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क इसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार,स्थानीय निकाय कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्दिरा नगर देहरादून को प्रे षत कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखा परीक्षा अ धकारी
स्थानीय निकाय